



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07122020-223555  
CG-DL-E-07122020-223555

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3834]  
No. 3834]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 4, 2020/अग्रहायण 13, 1942  
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 4, 2020/AGRAHAYANA 13, 1942

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2020

का. आ.4372 (अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

दूसरी अनुसूची में, राजस्थान शीर्ष के अधीन “आयुर्वेद और सिद्ध” से संबंधित भाग-1 में, क्रम संख्या 92ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को रखा जाएगा अर्थात्: -

1	2	3	4	5
“92ग	टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर, राजस्थान	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एवं सर्जरी)	बी.ए.एम.एस.	अगस्त 2020 से आगे, यदि निम्नलिखित महाविद्यालय में वर्ष 2014 से आगे केंद्रीय सरकार की अनुमति से छात्रों को प्रवेश दिया गया था, अर्थात्:- श्री गंगानगर कालेज आफ आयुर्वेदिक साइंस एंड हास्पिटल, रिको के पास, हनुमानगढ़ रोड,

				श्री गंगानगर- 335002, राजस्थान।
--	--	--	--	---------------------------------

[फा. सं. एल-14030/32/2019-ईपी-1]

पी. एन. रणजीत कुमार, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद 1970 (1970 का 48) की दूसरी अनुसूची, में संख्या का.आ. संख्या 4068 (अ), तारीख 30 नवंबर, 1979 द्वारा पहली बार संशोधन किया गया था और अधिसूचना संख्या का.आ. संख्या 4074 (अ), तारीख 11 नवंबर, 2020 को अंतिम संशोधित किया गया था।

## MINISTRY OF AYUSH

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2020

**S.O. 4372(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government, after consulting the Central Council of Indian Medicine, hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely:-

In the Second Schedule, in Part-I relating to “Ayurveda and Siddha”, under the heading Rajasthan, after serial number 92B and the entries related thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted namely:-

1	2	3	4	5
“92C	Tantia University, Sri Ganganagar, Rajasthan	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery)	B.A.M.S.	From August, 2020 onwards if awarded to the students who were admitted with the permission of Central Government in the year 2014 onwards in, Shri Ganganagar College of Ayurvedic Science and Hospital, Near RIICO, Hanumangarh Road, Sri Ganganagar-335002, Rajasthan”.

[F. No.L-14030/32/2019-EP-1]

P. N. RANJIT KUMAR, Jt. Secy.

**Note:** The Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) was first amended *vide* notification number S.O. No. 4068(E), dated the 30<sup>th</sup> November, 1979 and was last amended *vide* notification number S.O. No. 4074(E), dated the 11<sup>th</sup> November, 2020.